मूट कोर्ट नियमावली-

1. एमिटि लॉ स्कूल एक 'हिन्दी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता- 2018' का आयोजन कर रहा है, ताकि विद्यार्थी कानून तथा राष्ट्रीय कानून के अभ्यास के प्रति परिचित हो सके।

2. प्रतियोगिता की तिथि एवं स्थान
   दिनांकः 8 एवं 9 मार्च, 2019
   स्थानः एमिटि लॉ स्कूल नोएडा, सेक्टर- 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश

3. परिधान/पोशाक

- ❖ स्त्री – काला रंग का सलवार अथवा पाजामा, सफ़ेद कुर्ता अथवा शर्ट/सूट काले रंग।
- ❖ परूष – काला रंग की पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट एवं टाई अथवा काले रंग का सूट।

4. भाषा – प्रतियोगिता का संचालन हिन्दी में किया जाएगा।

5. योग्यता –

   भारत के किसी भी विधि स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में वर्तमान में 5 वर्षीय एल0 एल0 बी0 अथवा एल0 एल0 एम0 डिग्री के लिए पंजिकृत हो, इस प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य होंगे।

   कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान इस प्रतियोगिता हेतु मात्र एक दल को भेजने के हकदार होंगे।

6. डल संरचना

- प्रत्येक दल में अधिकतम तीन सदस्य होंगे, जिसमें दो वक्ता एवं शोधकर्ता होंगे। दल द्वारा पंजीकरण के समय अपने वक्ताओं एवं शोधकर्ताओं की पहचान आवश्यक है। प्रतियोगिता से पहले अथवा प्रतियोगिता के दौरान दल अपने-अपने संस्थान, व्यक्तिगत पहचान तथा शहर का खुलासा नहीं करेंगे।
- आयोजनकर्ताओं को यह अधिकार होगा कि खुलासा करने वाले प्रतियोगियों को अयोग्य घोषित कर सके।
- काई भी अतिरिक्त सदस्य अथवा किसी दल का कोई गाईड एमिटि लॉ स्कूल से प्रमाण पत्र हेतु हकदार नही होगा।

7. राउंड

❖ ड्रा ऑफ लॉट्स

❖ दिनांक 8 माच, 2019

❖ दो प्रारंभिक दौर होंगे।

❖ सर्वोच्च आठ दल क्वार्टर के लिए क्वालीफाई करेंगे जो दिनांक 9 माच, 2019 को होगा।

❖ प्रारंभिक दौर में क्वालीफाई करने वाले क्वार्टर के लिए योग्य होंगे।

❖ सर्वोच्च दो सफल दल सेमी फाइनल हेतु योग्य होंगे।

❖ सर्वोच्च दो सफल दल फाइनल हेतु योग्य होंगे।

8. क्वार्टर फाइनल एवं सेमी फाइनल में सफल होने वाले नॉक आउट दौर के लिए मौखिक तथा मेमोरियल के आधार पर मूल्यांकित किए जाएंगे।

क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल अथवा फाइनल का निर्धारण ड्रा ऑफ लॉट्स से किया जाएगा।

9. मेमोरियल

मेमोरियल हेतु निम्नलिखित जरूरतों को दृढ़ता पूर्वक पालन आवश्यक होंगे

- ❖ प्रत्येक दल को प्रत्येक केस के आवेदन एवं प्रतिवादी हेतु एक मेमोरियल बनाना होगा।
- ❖ प्रत्येक दल को अपने मेमोरियल हेतु एक सॉफ्ट कॉपी एवं एक हार्ड कॉपी प्रत्येक के लिए studentbarforum@gmail.com अथवा डाक द्वारा एमिटि लॉ स्कूल नोएडा, सेक्टर- 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश को घोषित किया जाएगा।
- ❖ एक बार मेमोरियल जमा करने के पश्चात उसमें कोई बदलाव, मान्य नहीं होगा।
- ❖ प्रत्येक केस के लिए वादी एवं प्रतिवादी के लिए पाँच मेमोरियल आयोजकों के समक्ष जमा किया जाएगा।
- ❖ मेमोरियल अच्छी तरह से बंधा हुआ अथवा स्पाइरल बांइड होना चाहिए।
- ❖ मेमोरियल प्रस्तुत की विधि
    1. मुख्य पृष्ठ
    2. टाइल पृष्ठ
    3. विषय सूची
    4. संक्षेप शब्दों की सूची
    5. प्राधिकारी की सूची
    6. तथ्य विलेश्व
    7. क्षेत्राधिकार का कथन
    8. मुद्दा
    9. वर्को का सार
    10. लखित तर्क
    11. प्रार्थना
    12. पिछला पृष्ठ

दलों से अनुरोध है कि अपने मेमोरियल को पी0 डी0 एफ0 प्रारूप में जमा करें।

10. मुख्य पृष्ठ की विधि

- ❖ टीम संख्या
- ❖ ट्राटा (वादी एवं प्रतिवादी)
- ❖ प्रतियोगिता का टाइटल
- ❖ मुकदमे का टाइटल
- ❖ मुख्य पृष्ठ की रंग की विधि
- ❖ वादी – लाल
- ❖ प्रतिवादी – ब्लू
- ❖ मेमोरियल से निर्देषित चीजें वर्णित है –
- ❖ सदस्यों के नाम
- ❖ सदस्यों के कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी का नाम

11. **मेमोरियल हांथ से लिख सकते हे।**

12. केवल 2 जने साथ भाग ले सकते हे।

13. मेमोरियल की पृष्ठ 20 पेज से अधिक नहीं होगी एवं 8000 शब्दों से अधिक नहीं होगी।

14. मेमोरियल की गणना –

गणना का कुल अंक 100 मेमोरियल की गणना उसके प्रारूप, संगठन, संराण व्ययों का इस्तेमाल व्ययों का गण्न, विधि का इस्तेमाल, संक्षेप शब्दों का इस्तेमाल एवं शोध पर की जाएगी।

15. मौखिक प्रक्रिया (प्रिलिमिनरी, क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल एवं फाइनल प्रक्रिया)

- हर मोखिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, लेकिन शोधकर्ताओं को अपने-अपने वक्ताओं के साथ
- मौखिक प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागी एवं प्रेक्षक के बीच बातचीत वर्जित है।
- मौखिक प्रक्रिया का समय
- प्रिलिमिनरी प्रक्रिया - 15 मिनट
- क्वार्टर फाइनल प्रक्रिया - 20 मिनट
- सेमी फाइनल - 30 मिनट
- फाइनल प्रक्रिया - 40 मिनट

16. वक्ताओं की गणनाः

- वक्ताओं के लिए कुल अंक – 100

17. शोधकर्ताओं की गणनाः

शोधकर्ताओं की अलग से ऑबजेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें सभी शोधकर्ताओं का बैठना अनिवार्य है।

18. पुरस्कार का विलेखः

निम्नलिखित पुरस्कार फाइनल प्रक्रिया के बाद वितरण की जाएगी।

- विजेता
- प्रथम उपविजेता
- द्वितीय उपविजेता
- सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता
- द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता
- सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल
- सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता

19. शिकायत करने की विधि

- अगर टीम को ऐसा लगता है कि उनके साथ नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उनसे अनुरोध है कि वे श्रीमान तुषार सक्सेना जी को लिखित रूप से एवं मौखिक रूप से करें।
- न्यायालय के अधिकारियों की गैर मौजूदगी में वह अपने शिकायत पत्र को प्रशासन में जमा कर सकते हैं किन्तु शिकायत पत्र को सीधे माननीय न्यायाधीशों के सामने जमा करना सख्त मना है।
- माननीय न्यायाधीशों का फैसला अंतिम माना जाएगा।

20. स्टूडेन्ट्स बार फोरम इन सभी नियमों को बदलने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।

- सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि अगर ऐसी परिस्थिति आए जब किसी दो दल के अंक समान है तब उस परिस्थिति में एक निर्णायक दौर का आयोजन होगा जिसमें जजों द्वारा सवाल जवाब का दौर होगा जिसमें जजों का फैसला निर्णायक होगा।

- सभी प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रेलिमिनरी, क्वार्टर एवं सेमी फाइनल में जजों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है परंतु इससे प्रतिभागियों के अंक में कोई बदलाव नहीं आएगा जो उनके हित के विरोध हो। सभी प्रतिभागियों का हित हमारा परम उद्देश्य है।